

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
 (समक्ष: पी0सी0आर्य)  
 दांडिक अपील क्रमांक: 64/2010  
 संस्थित दिनांक-28/04/2010  
 फाइलिंग नंबर-230303001042010

पप्पू उर्फ रामलखन जाटव,  
 पुत्र गोरेलाल उर्फ हरदयाल जाटव, 30 साल  
 निवासी ग्राम सुल्तान सिंह का पुरा  
 थाना ऊमरी जिला भिण्ड म.प्र. -----अपीलार्थी/आरोपी

### वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—  
 आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----प्रत्यर्थी/अभियोगी

---

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
 अपीलार्थी/आरोपी द्वारा न्यायमित्र श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
 प्रकरण क्रमांक-153/2003 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
 31/3/2010 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

---

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक **02 मई 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी पप्पू उर्फ रामलखन की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 153/2003 निर्णय दिनांक-31/03/2010 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी/अपीलार्थी पेशे से मजदूर है ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-14/03/2003 को 9:30 बजे फरियादी सुरेश जाटव,

ग्राम बरथरा के चौकीदार काशीराम के साथ आकर रिपोर्ट इस आशय की लेख कराई कि आज सुबह उसका भाई जगदीश जाटव को पप्पू जो ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर नंबर-एम.पी.-30 एम.-1458 के थ्रेसर से सरसों निकलवाने के लिए ग्याप्रसाद लहारिया के खेत पर मजदूरी पर ले गया था, जब सुबह 8:30 बजे वह रोड तरफ से आया तो उसने ग्याप्रसाद के खलियान से अपने भाई जगदीश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसका भाई पैरों से सिर तक कुचला हुआ नीचे पड़ा था । फरियादी ने अपने भाई से पूछा तो उसने बताया कि पप्पू ने थ्रेसर पर चढ़ाया और सरसों की लांक को थ्रेसर में डालने को कहा था और उसकी लापरवाही से वह थ्रेसर से कुचल गया, वहां उपस्थित अजय व ज्ञानसिंह ने भी यही बताया था कि पप्पू की लापरवाही से जगदीश कुचल गया है, उसके थोड़ी देर बाद उसके भाई की मृत्यु हो गयी ।

4. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद के अपराध क्रमांक-63/2003 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी । मृतक का शव परीक्षण कराया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसका ट्रैक्टर व थ्रेसर को जप्त किया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-304-(ए) भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
6. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलिय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध दण्डाज्ञा पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा कर दण्डाज्ञा का आदेश पारित किया है जो कि स्थगित किये जाने योग्य है। अ0सा0-1 सुरेश जो कि मृतक जगदीश का चचेरा भाई होकर फरियादी है वह चश्मदीद साक्षी नहीं है उसे तो वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया था तथा मात्र अकेली उसकी साक्ष्य पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कानूनी भूल की है। तथा उसकी न्यायालयीन साक्ष्य एवं पुलिस कथन में काफी भिन्नता होकर विरोधाभाष हैं। उसको किस व्यक्ति ने बताया था कि किसकी लापरवाही से उसके भाई की मृत्यु हुई है उसने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में नहीं बताया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी साक्ष्य को बारीकी से अध्ययन न करते हुए दण्डाज्ञा पारित करने में कानूनी भूल की है जो स्थगित

रखे जाने योग्य है। तथा फरियादी के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा न ही विवेचक के न्यायालय में कथन कराये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डाज्ञा का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

—:- **निष्कर्ष के आधार** —:-

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया। आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में अपील स्तर पर नियुक्त किये गये न्यायमित्र श्री के०के० शुक्ला एड० द्वारा अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों की तरह ही तर्क करते हुए मूलतः यह बताया है कि घटना के महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षी अजयसिंह, ज्ञानसिंह व पुरुषोत्तम बताये गये हैं जिनमें से अजय व ज्ञानसिंह ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। और पुरुषोत्तम ब०सा०-1 के रूप में आरोपी के आधार को समर्थन देता है। और प्रकरण के अधिकतर साक्षी पक्ष विरोधी रहे हैं। तथा उन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। घटना के विवेचक का कथन नहीं कराया गया है। चिकित्सक द्वारा भी थ्रेसर से स्वयं गिर जाने पर दुर्घटना की संभावना व्यक्त की गई है। इसलिये मामला संदिग्ध है और अभियोजन संदेह के परे धारा-304 ए भादवि के अपराध को प्रमाणित नहीं कर पाया है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और मुख्य परीक्षण के आधार पर ही दोषसिद्धि कर आरोपी/अपीलार्थी को दण्डित कर दिया है जो कि कतई वैधानिक नहीं है। इसलिये दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाये। क्योंकि उसकी कोई उपेक्षा या उतावलापन प्रमाणित नहीं हुआ है। जिसका खण्डन करते हुए विद्वान ए०जी०पी० द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया है कि मृतक जगदीश की मृत्यु थ्रेसर पर काम करते समय आरोपी की लापरवाही से होना साक्ष्य से प्रमाणित है। और थ्रेसर से चोटिल

होकर मृत्यु होने का समर्थन बचाव साक्षी भी करता है। और आरोपी/अपीलार्थी मृतक को थ्रेसर पर काम के लिये ले जा रहा था और उससे बलपूर्वक काम कराया जिससे दुर्घटना घटित हुई। और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का उचित विवेचन कर दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है अतः अपील सव्यय निरस्त की जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से दुर्घटना गयाप्रसाद लहारिया के खलियान की बताई गई है जहाँ सरसों थ्रेसर से निकाली जा रही थी। कथानक मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ रामलखन जाटव मृतक जगदीश को थ्रेसर से मजदूरी से काम कराने के लिये लेकर गया था और दो तीन दिन पहले से काम कर रहा था तथा सरसों निकलवाने के लिये आरोपी ने थ्रेसर पर जगदीश को बैठाया जो सरसों की लांक थ्रेसर में डाल रहा था। तब पप्पू की लापरवाही से वह थ्रेसर में फंस गया और उसका शरीर कट गया था जिसकी मृत्यु हो गई। घटना के अजयसिंह, ज्ञानसिंह व पुरुषोत्तम महत्वपूर्ण साक्षी बताये गये हैं तथा मृतक के चचेरे भाई सुरेश का भी मौके पर पहुंचना बताया है। इसके अलावा चौकीदार काशीराम भी महत्वपूर्ण साक्षी बताया गया है। प्रकरण में घटना के विवेचक जयसिंह सोढी के विचारण के दौरान मृत हो जाने से उसका परीक्षण नहीं हुआ। ज्ञानसिंह को अभियोजन परीक्षित कराने में असफल रहा है। और पुरुषोत्तम बचाव साक्षी के रूप में पेश हुआ है। ऐसे में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य का अत्यंत सूक्ष्मता एवं सावधानी से मूल्यांकन अपेक्षित हो जाता है क्योंकि सुरेश मृतक का चचेरा भाई होकर हितबद्ध है।

10. सर्वप्रथम चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित होगा। कथानक मुताबिक घटना दिनांक 14.03.03 की बताई गई है और डॉ० ए०के० मुदगल अ०सा०-2 के रूप में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने अपनी अभिसाक्ष्य में सीएचसी गोहद में उक्त दिनांक को मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस द्वारा मृतक जगदीश पुत्र ब्रदी जाटव उम्र 40 साल निवासी ग्राम बरथरा का शव लाये जाने पर उसका परीक्षण करते हुए प्र०पी०-6 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताया है। तथा पैरा-2 में यह स्पष्ट किया है कि मृतक के शरीर में अकडन थी तथा उसका शरीर सफेद सा हो गया था। कमर का निचला भाग कुचला हुआ था। दोनों टांगे जननेन्द्रियों वाला भाग पेट का पेडू वाला भाग कुचला था। कमर की, जांघों की हड्डियाँ टूटी हुई थी। पेट फटा था और आंतें बाहर निकली हुई थीं तथा घाव के चारों तरफ भूसा व मिट्टी लगी थी। पैरों व जांघों में कई जगह घाव अनियमित प्रकार के थे। पेट के अंदर खून जमा था और आंतें अंदर से फट गई थीं। छाती में चोटें नहीं थीं और मृतक जगदीश की मृत्यु चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्त स्राव के कारण सदमे से हुई थी जो दुर्घटनात्मक प्रकृति की होना प्रकट किया

है। सुझाव दिये जाने पर यह भी व्यक्त किया है कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से थ्रेसर से गिर जाये तो मृतक को आई चोटें आना संभव है।

11. इस प्रकार से चिकित्सक की अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-6 की शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है जिससे मृतक जगदीश को आई चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की होकर मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक होना परिलक्षित होता है। तथा मृतक की मृत्यु खलियान में थ्रेसर पर काम करते समय की होना ही प्रकट होता है क्योंकि उसके शरीर पर घावों के साथ भूसे व मिट्टी के कण भी पाये गये हैं। कथानक मुताबिक भी गयाप्रसाद लहारिया के खलियान में सरसों की थ्रेसिंग के समय की घटना बताई गई है। बचाव पक्ष की ओर से लिये गये आधार में भी थ्रेसर से चोटिल होने की स्वीकारोक्ति है क्योंकि पुरुषोत्तम ब0सा0-1 के रूप में पेश हुआ है जो कि अभियोजन का साक्षी था। उसने भी बचाव साक्षी के रूप में यही बताया है कि गयाप्रसाद की सरसों थ्रेसर से कतरी जा रही थी जो दुर्घटना के दो तीन दिन पहले से कतरी जा रही थी। जगदीश थ्रेसर पर तीन दिन से काम कर रहा था और वह दो तीन दिन से सोया नहीं था इसलिये नींद आने के कारण थ्रेसर में चला गया। जबकि उक्त बचाव साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह कई बार अपने घर गया था और उससे यह पूछे जाने पर कि जब वह कई बार अपने घर गया तो किस आधार पर यह बात बता रहा है कि जगदीश कई दिन से सोया नहीं था, इसका वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है। और अंत में उसने यह भी कहा है कि यदि उसकी अनुपस्थिति में जगदीश सो गया हो तो उसे उसकी जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी पप्पू ट्रैक्टर का ड्रायवर था, थ्रेसर पर काम नहीं करता था।

12. थ्रेसर से कोई भी फसल थ्रेसिंग किये जाने पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है किन्तु ट्रैक्टर के माध्यम से खलियान में थ्रेसर चलाया जाता है। इस बिन्दु पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 भी महत्वपूर्ण है जो मृतक के भाई व रिपोर्टकर्ता सुरेश अ0सा0-1 की निशादेही पर बनाया गया है। नक्शामौका के संबंध में उसकी प्रतिपरीक्षा में कोई भी भिन्न तथ्य नहीं आये हैं, न पूछे गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटना गयाप्रसाद लहारिया के खलियान की है जो बरथरा रोड पर है। जिस स्थान की घटना बताई गई है वहाँ कोई विद्युत कनेक्शन होना या विद्युत से थ्रेसर का चलाया जाना नहीं बताया गया है जबकि प्रकरण में ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी0-30एम-1458 को जप्त होना बताया गया है और उससे ही थ्रेसिंग बताई गई है जिस आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ रामलखन चला रहा था। नक्शामौका से यह भी स्पष्ट होता है कि थ्रेसिंग ट्रैक्टर के माध्यम से की गई जिसका उल्लेख नक्शामौका में

क्रमांक-2 से अंकित है और बचाव साक्षी भी आरोपी को ट्रैक्टर ड्रायवर बताता है इससे आरोपी की ओर मृतक की गयाप्रसाद लहारिया के खलियान में उपस्थिति सुनिश्चित हो जाती है जिससे मृतक की मृत्यु थ्रेसर से हुई दुर्घटना के फलस्वरूप होना प्रमाणित होती है जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है।

13. जहाँ तक यह प्रश्न है कि क्या आरोपी की किसी उपेक्षा या उतावलेपन से दुर्घटना घटी है। इस संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें रिपोर्टकर्ता मृतक के चचेरे भाई सुरेश अ0सा0-1 ने यह भी बताया है कि आरोपी पप्पू उर्फ रामलखन को वह जानता है जो उसके भाई जगदीश को थ्रेसर पर ले गया था। थ्रेसर में लांक लगवाने लगे थे। सरसों की थ्रेसिंग कर खड़े करके लांक डलवा रहे थे। तब चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा था। तब तक थ्रेसर से जगदीश को निकाल लिया गया था। उसका नीचे का पूरा शरीर कट गया था। आरोपी पप्पू वहाँ से भाग गया था। उसका भाई जगदीश पप्पू की लापरवाही से खतम हो गया था। मौके पर अनिल व पुरुषोत्तम भी थे। उसके बाद वह चौकीदार कांशीराम के साथ थाने गया था और उसने प्र0पी0-1 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस आई थी। पुलिस ने नक्शामौका प्र0पी0-2, लाश पंचायतनामा प्र0पी0-3 बनाया था और उसका पोस्टमार्टम हुआ था उसके बाद लाश उसे प्राप्त हुई थी जिसकी उसने प्र0पी0-4 की रसीद दी थी। प्र0पी0-5 के सूचना पत्र भी वह अपने हस्ताक्षर होना बताता है। उसने पैरा-4 में यह भी बताया है कि दुर्घटना दिनांक से वह आरोपी को जानता है और जगदीश को आरोपी पप्पू बुलाकर ले गया था। सरसों गयाप्रसाद की थी। पैरा-5 में उसने यह भी कहा है कि घटना के तीन दिन पहले से जगदीश पप्पू की थ्रेसर पर काम कर रहा था। जगदीश के अलावा अजय भी था। जब वह मौके पर पहुंचा था तब जगदीश थोड़ा बोल रहा था और जगदीश ने उससे इतना कहा था कि वह मरता है। जगदीश को मजदूरी से ले जाया जाता था। थ्रेसर रात भर घटना के पूर्व चला था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जगदीश रात भर सोया नहीं था लेकिन इस बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है कि नींद में होने से सरसों डालते समय थ्रेसर में चला गया।

14. इस तरह से सुरेश अ0सा0-1 के मुताबिक मृतक जगदीश को आरोपी पप्पू द्वारा मजदूरी से सरसों की थ्रेसिंग के लिये गयाप्रसाद के खलियान पर बुलाकर ले जाना और काम करते समय दुर्घटना के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होना तथा मृत्यु थ्रेसर से होना प्रमाणित होता है। आरोपी का घटनास्थल से भाग जाना उक्त साक्षी द्वारा बताया गया है जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। कथानक मुताबिक भी आरोपी दुर्घटना के बाद मौके से भाग गया था जो ट्रैक्टर का ड्रायवर होना स्वयं बचाव साक्षी पुरुषोत्तम ब0सा0-1 स्वीकार करता है इससे आरोपी के उपेक्षापूर्ण आचरण की पुष्टि होती

है क्योंकि घटनास्थल से भाग जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अ0सा0-1 की दुर्घटना के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य अखण्डनीय रहा है जो चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थित होता है।

15. अन्य परीक्षित अभियोजन साक्षियों में से अजय कुमार अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी और मृतक को जानना बताते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि जगदीश की मृत्यु कैसे हुई, इसका उसे पता नहीं है। उसने प्र0पी0-7 का पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है। नेमीचंद अ0सा0-4 जो कि सफीना फॉर्म प्र0पी0-5 और लाश पंचायतनामा प्र0पी0-3 का साक्षी है, उसने गयाप्रसाद के खलियान पर पहुंचना तथा वहाँ भीड़ होना व जगदीश की लाश खलियान में जमीन पर रखी होना तो बताता है किन्तु उसकी मृत्यु कैसे हो गई, यह उसे पता नहीं है। इसी प्रकार मनीराम अ0सा0-5 और सरनामसिंह अ0सा0-6 भी लाश पंचायतनामा के साक्षी हैं, उन्हें भी घटना की कोई जानकारी नहीं है किन्तु नेमीचंद के मुताबिक जगदीश की मृत्यु थ्रेसर से होना वह स्वीकार करता है। और थ्रेसर पर काम के लिये आरोपी के द्वारा मृतक को ले जाया जाना अखण्डनीय रहा है। ऐसे में प्र0पी0-6 के शव परीक्षण प्रतिवेदन में जगदीश की मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक होना और दुर्घटना आरोपी के ट्रैक्टर से थ्रेसिंग के दौरान होना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

16. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में इसी आशय का निष्कर्ष निकाला है और उसमें साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है। सुस्थापित विधि मुताबिक दाण्डिक मामले में प्रमाण भार अभियोजन पर ही होता है किन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य भी उतना ही महत्व रखती है जितनी की अभियोजन की साक्ष्य। ऐसे में समग्र साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उससे ट्रैक्टर से थ्रेसर चलाये जाने दौरान मृतक जगदीश की थ्रेसर में लांक डालते समय दुर्घटना से मृत्यु होना प्रमाणित होता है। तथा आरोपी का आचरण कि वह मौके से भाग गया था, उसके अपराध बोध को दर्शित करता है इसलिये अभियोजन साक्षियों के पक्ष विरोधी होने का कोई दुष्प्रभाव अभियोजन पर नहीं माना जावेगा।

17. जहाँ तक प्रकरण में विवेचना करने वाले जयसिंह सोढी के कथन न होने का प्रश्न है, अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसका कथन नहीं हुआ है तथा साक्षी ज्ञानसिंह अज्ञात रहा है किन्तु उसके अभाव में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को न तो त्यागा जा सकता है न ही अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है और अभियोजन कथानक की पुष्टि बचाव साक्षी से भी होती है। ऐसे में धारा-304 ए भा.दं.वि. का अपराध आरोपी ट्रैक्टर

चालक पप्पू उर्फ रामलखन को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने में कोई विधि या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाकर वाद विचार निरस्त की जाती है।

18. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, आरोपी/अपीलार्थी के न्यायमित्र द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी अर्थदण्ड जमा कर चुका है तथा लंबे अरसे तक वह अभियोजन का सामना करते करते थक चुका था और इस कारण गैर हाजिर हुआ। इसलिये दिये गये अर्थदण्ड से ही उसे दण्डित कर छोड़ दिया जावे। जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि आरोपी की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटी है और एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है जिसके कारण उसका पूरा परिवार संकट में आ गया है। आरोपी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है और वह गैर हाजिर भी हो चुका है। इस वजह से न्यायमित्र की नियुक्ति हुई इसलिये दोषसिद्धि यथावत रखी जावे।

19. दण्डाज्ञा पर किये गये तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण न होने से उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। उसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अधिरोपित अर्थदण्ड चार हजार रुपये अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया जा चुका है। किन्तु वह पर्याप्त दण्डादेश नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है जो मजदूर पेशा था और उसके पूरे परिवार का भरणपोषण उसके द्वारा किया जाता था। तथा अपील स्तर पर लंबे समय से आरोपी/अपीलार्थी अनुपस्थित भी है इसलिये वह किसी भी उदारता का पात्र नहीं है। और यदि आरोपी/अपीलार्थी ट्रैक्टर से थ्रेसर चलाने में सावधानी के नियम का पालन करता तो दुर्घटना को रोका जा सकता था और एक अकाल मृत्यु बचाई जा सकती थी। दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु का ग्राफ भारतवर्ष में सबसे अधिक है जिसे देखते हुए आरोपी/अपीलार्थी किसी भी प्रकार की उदारता का पात्र नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये का जो अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, उसे कतई अविवेकपूर्ण या अत्यधिक नहीं माना जा सकता है। फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए दण्डाज्ञा की भी पुष्टि की जाती है।

20. आरोपी/अपीलार्थी के अपील स्तर पर ही जमानत मुचलके जप्त किये जा चुके हैं अतः उसे दण्डाज्ञा भुगताये जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ इस निर्देश के साथ भेजा जावे कि आरोपी की गिरफ्तारी के



सर्वोत्तम प्रयास करते हुए उसे सजा भुगताई जावे। सजा वारण्ट विधिवत भेजे जावें।

21. जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका-21 को भी यथावत रखा जाता है।

दिनांक: 02 मई 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड